

कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सी आई एन यू **35201** एमएच **1990** जीओआई **223738**

संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति
(10 फरवरी, 2022 को आयोजित 169 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया
गया था)
(14 फरवरी, 2025 को आयोजित 186 वीं बीओडी बैठक में समीक्षा और
अद्यतन किया गया)

1. प्रस्तावना

1.1 कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल या कंपनी) अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उच्चतम नैतिक और कानूनी आचरण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह मानता है कि संबंधित पार्टी लेनदेन केआरसीएल के हित के साथ निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन आदि के हितों के वास्तविक या स्पष्ट टकराव का जोखिम पैदा कर सकता है।

1.2 केआरसीएल का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल या बोर्ड") कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 और उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके बाद के किसी भी संशोधन (अधिनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम), संशोधित, और ऐसे अन्य नियामक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, नीचे परिभाषित संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) के संबंध में निम्नलिखित नीति और प्रक्रियाओं (नीति) को अपनाता है, जो कंपनी और उसके किसी भी संबंधित पक्ष (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) के बीच लेनदेन की समय पर पहचान, अनुमोदन, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए लागू हो सकते हैं।

2. उद्देश्य

2.1. इस नीति का उद्देश्य केआरसीएल और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में केआरसीएल और उसके किसी भी संबंधित पक्ष के बीच लेनदेन की व्यवस्थित पहचान, अनुमोदन और/या रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। इस नीति के प्रावधान पहचान और अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ लागू कानूनों के संदर्भ में संबंधित पक्ष लेनदेन के संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह नीति केआरसीएल की अन्य नीतियों का पूरक होगी जो संबंधित व्यक्तियों के साथ लेनदेन की पहचान, अनुमोदन और/या रिपोर्टिंग के लिए लागू हो सकती हैं।

2.2. केआरसीएल की लेखा परीक्षा समिति (लेखा परीक्षा समिति), उपरोक्त प्रावधानों के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में इस नीति के आधार पर संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा, अनुमोदन और पुष्टि करेगी। निदेशक मंडल समय-समय पर इस नीति की समीक्षा और संशोधन करने की शक्ति सुरक्षित रखता है। संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति के लिए कोई भी अपवाद कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप होगा, जिसमें इसके तहत प्रख्यापित नियम और सेबी लिस्टिंग विनियम शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए तरीके से अनुमोदित किया जाएगा।

3. इस नीति के अंतर्गत लेनदेन शामिल हैं

3.1. इस नीति द्वारा अंतर्गत किए गए लेनदेन में संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में नीचे परिभाषित लेनदेन के संबंध में संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था शामिल है।

3.2. यह भी प्रावधान है कि केआरसीएल द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में और एकांत आधार पर संबंधित पक्ष के साथ किए गए किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति को दी जाएगी।

4. परिभाषाएँ

4.1. "अधिनियम" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 तथा समय-समय पर संशोधित उसके अधीन बनाए गए नियमों से है।

4.2. "सहयोगी कंपनी", किसी अन्य कंपनी के संबंध में, ऐसी कंपनी से है जिसमें केआरसीएल का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन जो केआरसीएल की ऐसी सहायक कंपनी नहीं है, जिसका ऐसा प्रभाव हो तथा इसमें केआरसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनियां, यदि कोई हों, शामिल हैं।

स्पष्टीकरण: महत्वपूर्ण प्रभाव का अर्थ है कुल शेयर पूंजी के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण, या किसी समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों का नियंत्रण। इसके अलावा, कुल शेयर पूंजी का अर्थ है चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और परिवर्तनीय वरीयता शेयर पूंजी का योग।

4.3. "लेखा परीक्षा समिति" का अर्थ है अधिनियम और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के तहत गठित केआरसीएल के निदेशक मंडल की समिति।

4.4. बोर्ड या निदेशक मंडल का अर्थ है केआरसीएल का निदेशक मंडल।

4.5. "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से किए जाने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है: बशर्ते कि केआरसीएल के किसी निदेशक या अधिकारी को केवल ऐसे पद पर होने के आधार पर ऐसी कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जाएगा।

4.6. "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अर्थ है

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ii) सभी कार्यात्मक निदेशक

(iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी और

(iv) केआरसीएल के कंपनी सचिव

4.7. लिस्टिंग विनियमन का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, समय-समय पर संशोधित।

4.8. महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का अर्थ है कि संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला लेनदेन या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार एक हजार करोड़ रुपये या सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक हो। उपर्युक्त के बावजूद, ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबंधित पक्ष को किए गए भुगतान से संबंधित लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला लेनदेन या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया लेनदेन, कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक हो।

सी डी ई एफ

4.9. "व्यापार का सामान्य क्रम" में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो व्यवसाय के लिए आवश्यक, सामान्य और प्रासंगिक हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ये वाणिज्यिक लेनदेन की सामान्य प्रथाएँ और रीति-रिवाज हैं। कानून में, व्यवसाय का सामान्य क्रम किसी खास व्यवसाय के सामान्य लेनदेन, रीति-रिवाजों और प्रथाओं को शामिल करता है। व्यवसाय के सामान्य क्रम को निर्धारित करने के लिए सांकेतिक कारक:

ए . किसी विशेष व्यवसाय के लिए सामान्य या अन्यथा उल्लेखनीय है (यानी आपके सिस्टम, प्रक्रियाओं, विज्ञापन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि में विशेषताएँ)

बी. अक्सर और नियमित है

सी. इसमें काफी मात्रा में धन शामिल है

डी. व्यवसाय के लिए आय का स्रोत है

ई . इसमें संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है

एफ. ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा या उत्पाद में शामिल है

4.10. "कार्यालय या लाभ का स्थान का अर्थ है कोई भी कार्यालय या स्थान-

(i) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि इसे धारण करने वाला निदेशक केआरसीएल से पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है, जो कि निदेशक के रूप में उसके हकदार पारिश्रमिक से अधिक है, वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास, या अन्यथा;

(ii) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान किसी निदेशक के अलावा किसी व्यक्ति या किसी फर्म, निजी कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि इसे धारण करने वाला व्यक्ति, फर्म, निजी कंपनी या निगमित निकाय केआरसीएल से पारिश्रमिक, वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास, या अन्यथा के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है।

4.11. “सम्बन्धित पक्ष” - सम्बद्ध पक्ष का अर्थ है सम्बद्ध पक्ष, जैसा कि निम्नलिखित के अन्तर्गत परिभाषित है:
क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76); या

ख) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का विनियमन 2(1) (जेडबी); या

ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) 24। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अन्तर्गत परिभाषित सम्बद्ध पक्ष इस प्रकार हैं: किसी कम्पनी के सन्दर्भ में सम्बद्ध पक्ष का अर्थ है-

(i) कोई निदेशक या उसका संबंधी;

(ii) कोई मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक या उसका संबंधी;

(iii) कोई फर्म, जिसमें कोई निदेशक, प्रबन्धक या उसका संबंधी भागीदार हो;

(iv) कोई निजी कम्पनी, जिसमें कोई निदेशक या प्रबन्धक या उसका संबंधी सदस्य या निदेशक हो;

(v) कोई सार्वजनिक कंपनी जिसमें निदेशक या प्रबन्धक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इसकी चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है;

(vi) कोई निगमित निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक किसी निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या अनुदेश के अनुसार कार्य करने का आदी है;

(vii) कोई व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी है: बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देश या अनुदेश पर लागू नहीं होगा;

(viii) कोई निगमित निकाय जो- ऐसी कंपनी की होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी है; किसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी वह भी सहायक कंपनी है; या • कोई निवेश करने वाली कंपनी या कंपनी का उद्यमकर्ता

(ix) नियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशक या होल्डिंग कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मों या उसके रिश्तेदार के अलावा कोई निदेशक

4.12. "रिश्तेदार - केआरसीएल के निदेशक या केएमपी के संदर्भ में, का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य से संबंधित है, यदि -

- (i) वे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;
- (ii) वे पति और पत्नी हैं; या
- (iii) एक व्यक्ति दूसरे से निम्नलिखित तरीके से संबंधित है, अर्थात्:

क) पिता जिसमें सौतेला पिता भी शामिल है

ख) माता जिसमें सौतेली माँ भी शामिल है

ग) बेटा जिसमें सौतेला बेटा भी शामिल है

घ) बेटे की पत्नी

ङ) बेटी

च) बेटी का पति

छ) भाई जिसमें सौतेला भाई भी शामिल है

ज) बहन जिसमें सौतेली बहन भी शामिल है

4.13. "संबद्ध पार्टी लेन-देन" - संबंधित पार्टी लेन-देन का अर्थ है लेन-देन / अनुबंध / व्यवस्था जो निम्नलिखित के दायरे में आती है:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188; या

ख) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 2(1) (जेडसी); या

ग) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) 24

5. संबंधित पक्ष का पता लगाने के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ

5.1. निम्नलिखित विवरण आवश्यक होंगे:

a) सभी निदेशकों और केएमपी द्वारा फॉर्म एमबीपी-1 में हित की घोषणा/प्रकटीकरण।

b) सभी निदेशकों और केएमपी द्वारा रिश्तेदारों की घोषणा।

c) किसी ऐसी फर्म के बारे में घोषणा जिसमें निदेशक और केएमपी या उसका रिश्तेदार भागीदार है।

d) किसी ऐसी निजी कंपनी के बारे में घोषणा जिसमें निदेशक और केएमपी या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है।

e) किसी ऐसी सार्वजनिक कंपनी के बारे में घोषणा जिसमें निदेशक और केएमपी निदेशक हैं और रिश्तेदारों के साथ मिलकर 2% से अधिक चुकता शेयर पूंजी रखता है।

f) कोई ऐसी कंपनी जो-

(i) केआरसीएल की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी है; या

(ii) केआरसीएल की सहायक कंपनी की सहायक कंपनी है।

6. संभावित संबंधित पक्ष लेन-देन की पहचान

6.1. संबंधित निदेशक/केएमपी/कार्यकारी निदेशक/कार्यात्मक/विभागीय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी संभावित संबंधित पक्ष लेन-देन की सूचना लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड को पहले ही दे दी जाए, ताकि बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति दोनों को प्रस्तावित लेन-देन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसकी समीक्षा करने का समय मिल सके। उपर्युक्त संबंधित व्यक्ति प्रत्येक तिमाही के अंत में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन के बारे में यथाशीघ्र वित्त विभाग और कंपनी सचिव को सूचित करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक तिमाही के दौरान किए गए सभी लेन-देन को तिमाही और वार्षिक खातों के साथ लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

6.2. केआरसीएल का प्रत्येक निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो किसी भी तरह से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अनुबंध या व्यवस्था या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित या इच्छुक है, उसे बोर्ड की उस बैठक में अपनी चिंता या रुचि की प्रकृति का खुलासा करना होगा जिसमें अनुबंध या व्यवस्था पर चर्चा की जाती है और वह ऐसी किसी बैठक में भाग नहीं लेगा या उस पर प्रभाव नहीं डालेगा।

6.3. जहां कोई निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करते समय इस प्रकार चिंतित या इच्छुक नहीं है, यदि वह अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद चिंतित या इच्छुक हो जाता है, तो उसे अपने चिंतित या इच्छुक होने पर तत्काल अपने चिंतित या इच्छुक होने का खुलासा करना होगा या उसके चिंतित या इच्छुक होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में इसका खुलासा करना होगा।

6.4. केआरसीएल द्वारा प्रकटीकरण के बिना या निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की भागीदारी के बिना किया गया कोई अनुबंध या व्यवस्था, जो किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित या इच्छुक है, केआरसीएल के विकल्प पर निरस्तीकरण योग्य होगी।

6.5. कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जिसे पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित अपराध का दोषी ठहराया गया हो, उसे निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

7. संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा और अनुमोदन

7.1. लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन सभी संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद के भौतिक संशोधनों के लिए लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। हालाँकि, कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियाँ) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 और लिस्टिंग विनियमों के नियम 6A के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

ए. लेखा परीक्षा समिति इस नीति के अनुरूप सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी और ऐसा अनुमोदन उन लेन-देन के संबंध में लागू होगा जो प्रकृति में लगातार/नियमित/पुनरावृत्ति वाले हैं और कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं।

बी. लेखा परीक्षा समिति उन लेन-देनों को सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करेगी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और जो लेन-देन आर्म्स लेंथ आधार पर हैं।

सी. लेखा परीक्षा समिति ऐसे सभी लेन-देनों को सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करेगी जिन्हें लेखा परीक्षा समिति उचित समझे।

डी. लेखापरीक्षा समिति कंपनी के सर्वोत्तम हित में इस प्रकार के सर्वव्यापक अनुमोदन की आवश्यकता पर स्वयं विचार करेगी।

7.2. लेखापरीक्षा समिति द्वारा सर्वग्राही अनुमोदन

7.2.1. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित शर्तों के अधीन केआरसीएल द्वारा प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

क) लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) कुल मिलाकर लेन-देन का अधिकतम मूल्य, जिसे एक वर्ष में सर्वग्राही अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी जा सकती है;

(ii) प्रति लेन-देन अधिकतम मूल्य जिसे अनुमति दी जा सकती है;

(iii) सर्वग्राही अनुमोदन प्राप्त करने के समय लेखापरीक्षा समिति को किए जाने वाले प्रकटीकरण की सीमा और तरीका;

(iv) प्रत्येक सर्वग्राही अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष लेन-देन की, लेखापरीक्षा समिति द्वारा उचित समझे जाने वाले अंतरालों पर समीक्षा करना; और

(v) लेन-देन जो लेखापरीक्षा समिति द्वारा सर्वग्राही अनुमोदन के अधीन नहीं हो सकते।

ख) लेखापरीक्षा समिति इस बात से स्वयं संतुष्ट होगी कि इस तरह के सर्वव्यापक अनुमोदन की आवश्यकता है और यह अनुमोदन केआरसीएल के हित में है तथा सर्वव्यापक अनुमोदन के लिए मानदंड निर्दिष्ट करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी:

- (i) लेन-देन की पुनरावृत्ति (अतीत में या भविष्य में); और
- (ii) सर्वव्यापक अनुमोदन की आवश्यकता का औचित्य।

ग) इस तरह के सर्वव्यापक अनुमोदन में यह निर्दिष्ट किया जाएगा:

- (i) संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, लेन-देन की अधिकतम राशि जो की जा सकती है;
- (ii) सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो; और
- (iii) ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें लेखापरीक्षा समिति उचित समझे।

7.2.2. बशर्ते कि जहां संबंधित पक्ष लेनदेन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेनदेन के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेनदेन 1.0 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

7.2.3. लेखापरीक्षा समिति, कम से कम तिमाही आधार पर, दिए गए प्रत्येक सर्वव्यापक अनुमोदन के अनुसरण में केआरसीएल द्वारा किए गए आरपीटी के विवरण की समीक्षा करेगी।

7.2.4. कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटाने के संबंध में लेनदेन के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन नहीं दिया जाएगा

7.2.5. ऐसे बहुपक्षीय अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध होंगे और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

7.2.6. सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन और उसके बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए आम बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

7.2.7. केआरसीएल का कोई भी शेयरधारक, यदि ऐसा शेयरधारक केवल उस अनुबंध या व्यवस्था के संदर्भ में संबंधित पक्ष है जिसके लिए उक्त प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

7.3. कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति अधिनियम की धारा 188(1) के अनुसार, लागू नियमों के साथ, निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव द्वारा दी गई सहमति के अलावा और निर्धारित शर्तों के अधीन, कोई भी कंपनी किसी संबंधित पक्ष के साथ निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं करेगी:

(क) किसी भी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना या खरीदना;

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;

(घ) किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;

(ङ) माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति;

(च) कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसे संबंधित पक्ष की नियुक्ति: और

(छ) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न की सदस्यता को हामीदारी करना; बशर्ते कि इस उपधारा में कोई बात कंपनी द्वारा अपने सामान्य कारोबार के दौरान किए गए किसी लेनदेन पर लागू नहीं होगी, सिवाय उन लेनदेन के जो निष्पक्ष आधार पर नहीं किए गए हैं।

7.4. कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी निम्नलिखित लेनदेन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 188 (1) के तहत निर्धारित है, कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी पॉवरर्स) नियम, 2014 के नियम 15 (3) के साथ पढ़ा जाता है:

क्रम संख्या	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट आरपीटी(एस)	शेयरधारकों के अनुमोदन की सीमा
ए.	किसी भी सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ किए जाने वाले लेनदेन या लेनदेन के लिए।
बी.	किसी भी प्रकार की संपत्ति को सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से बेचना या अन्यथा निपटाना या खरीदना	कंपनी की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ किए जाने वाले लेनदेन।
सी.	किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ किए जाने वाले लेनदेन या लेनदेनों के लिए।
डी.	किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना,	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक।

	सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से	किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ किए जाने वाले लेनदेन के लिए।
ई.	ऐसे संबंधित पक्ष की कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्ति	जहां मासिक पारिश्रमिक ` 2,50,000 रुपये से अधिक हो।
एफ.	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न की सदस्यता के लिए पारिश्रमिक	कंपनी की नेटवर्थ का 1% से अधिक
	उपर्युक्त टर्नओवर और निवल मूल्य की गणना पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार की जाएगी।	

बशर्ते कि इस उपधारा में कंपनी द्वारा अपने सामान्य कारोबार के दौरान किए गए किसी लेनदेन पर लागू नहीं होगी, सिवाय उन लेनदेन के जो निष्पक्ष आधार पर नहीं किए गए हैं।

शेयरधारकों की मंजूरी से छूट:

क. दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच लेन-देन के संबंध में;

ब. एक होल्डिंग और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन, जिनके खातों को ऐसी होल्डिंग के साथ समेकित किया जाता है और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है।

7.5. लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(4) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी और कोई भी संबंधित पक्ष ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे इकाई उस विशेष लेनदेन में संबंधित पक्ष हो या नहीं।

छूट:

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(5) के अनुसार, संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रावधानों को निम्नलिखित के लिए छूट दी गई है:

क. दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच किया गया लेन-देन;

ख. एक होल्डिंग और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किया गया लेन-देन, जिसके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं।

ग. सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किया गया लेन-देन, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित हैं और अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे गए हैं।

घ. लेन-देन जो एक ओर एक इकाई और दूसरी ओर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके किसी संयोजन के बीच किए गए वैधानिक बकाया, वैधानिक शुल्क या वैधानिक प्रभार के भुगतान की प्रकृति के हैं।

ड. एक ओर एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और दूसरी ओर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके किसी संयोजन के बीच किया गया लेन-देन।

8. समीक्षा के लिए मानक

8.1. संबंधित पक्ष के लेन-देन को अनुमोदित करते समय लेखापरीक्षा समिति और अनुमोदन/पुष्टि करते समय बोर्ड, लेन-देन में संबंधित पक्ष के हितों के पूर्ण प्रकटीकरण के बाद इस नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार निम्नलिखित की समीक्षा और विचार करेगा:

- (क) संबंधित पक्ष के लेन-देन में संबंधित पक्ष का हित;
- (ख) संबंधित पक्ष के लेन-देन में शामिल अनुमानित राशि;
- (ग) क्या संबंधित पक्ष का लेन-देन केआरसीएल के सामान्य व्यवसाय के क्रम में किया गया था;
- (घ) क्या संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन प्रस्तावित है, या इसे आर्म्स लेंथ आधार पर दर्ज किया गया था;
- (ई) संबंधित पक्ष लेनदेन का उद्देश्य और उससे केआरसीएल को होने वाले संभावित लाभ;
- (एफ) क्या केआरसीएल के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए कोई बाध्यकारी व्यावसायिक कारण हैं और वैकल्पिक लेनदेन की प्रकृति, यदि कोई हो;
- (जी) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन में कोई संभावित प्रतिष्ठा जोखिम संबंधी मुद्दे शामिल हैं जो संबंधित पक्ष लेनदेन के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं;
- (एच) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन किसी अन्यथा स्वतंत्र निदेशक या नामित निदेशक की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाएगा;
- (आई) क्या केआरसीएल को इसके आरंभ होने से पहले संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में अधिसूचित किया गया था और यदि नहीं, तो पूर्व अनुमोदन क्यों नहीं मांगा गया और क्या बाद में अनुसमर्थन केआरसीएल के लिए हानिकारक होगा;
- (जे) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए अनुचित हितों का टकराव प्रस्तुत करेगा, लेनदेन के आकार, संबंधित पक्ष की समग्र वित्तीय स्थिति, लेनदेन में संबंधित पक्ष के हित की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकृति और किसी भी प्रस्तावित संबंध की चल रही प्रकृति और किसी भी अन्य कारक को ध्यान में रखते हुए जिसे लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड प्रासंगिक और उचित मानता है;
- (के) आवश्यक वैधानिक और सार्वजनिक प्रकटीकरण, यदि कोई हो; और
- (एल) संबंधित पक्ष लेनदेन या प्रस्तावित लेनदेन के संदर्भ में संबंधित पक्ष के बारे में कोई अन्य जानकारी जो विशेष लेनदेन की परिस्थितियों के मद्दे नजर, लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

8.2. बोर्ड बैठक का एजेंडा, जिसमें प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है, में निम्नलिखित का खुलासा किया जाएगा:

- क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति;
- ख) अनुबंध की प्रकृति, अवधि और अनुबंध या व्यवस्था का विवरण;
- ग) अनुबंध या व्यवस्था की भौतिक शर्तें, जिसमें मूल्य, यदि कोई हो, शामिल है;
- घ) अनुबंध या व्यवस्था के लिए भुगतान या प्राप्त कोई अग्रिम राशि, यदि कोई हो;
- ङ) मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक शर्तों को निर्धारित करने का तरीका, जो अनुबंध के भाग के रूप में शामिल हैं और अनुबंध के भाग के रूप में नहीं माने गए हैं;
- च) क्या अनुबंध से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो उन कारकों का विवरण जिन पर विचार नहीं किया गया है, उन कारकों पर विचार न करने के औचित्य के साथ; और
- छ) प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

8.3. जहां कोई निदेशक किसी संबद्ध पक्ष के साथ किसी अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखता है, ऐसा निदेशक ऐसे अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित संकल्प के विषय पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित नहीं होगा।

8.4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसरण में बुलाई गई आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न किए जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्:

- क) संबंधित पक्ष का नाम;
- ख) निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम जो संबंधित है, यदि कोई हो;
- ग) संबंध की प्रकृति;
- घ) अनुबंध या व्यवस्था की प्रकृति, भौतिक शर्तें, मौद्रिक मूल्य और विवरण;
- ङ) प्रस्तावित समाधान पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

9. संबंधित पक्ष लेन-देन का अनुसमर्थन

9.1. संबंधित पक्ष के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था का उल्लेख शेयरधारकों को भेजी जाने वाली बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाएगा, साथ ही ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का औचित्य भी बताया जाएगा।

9.2. यदि संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति समय की कमी और अन्य प्रशासनिक असुविधा के कारण संभव नहीं है, तो ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा

समिति द्वारा बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया जाएगा, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के 3 महीने के भीतर या लेखा परीक्षा समिति की तत्काल अगली बैठक में, जो भी पहले हो।

9.3. किसी भी मामले में जहां ऑडिट कमेटी/बोर्ड/शेयरधारक किसी संबंधित पार्टी के लेनदेन को मंजूरी नहीं देने का फैसला करते हैं, जो बिना पूर्व अनुमोदन के शुरू किया गया है, ऑडिट कमेटी या बोर्ड या शेयरधारक, जहां उचित हो, अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें लेनदेन को तुरंत बंद करना या पुष्टि के लिए इसे स्वीकार्य बनाने के लिए लेनदेन में संशोधन करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक के संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक केआरसीएल को उसके द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

9.4. यदि लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड के किसी सदस्य, जैसा भी मामला हो, का किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन में संभावित हित है, तो ऐसा सदस्य ऐसे अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव के विषय-वस्तु पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।

9.5. इसके अलावा, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22/11/2021 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस_डिव 1/पी/ सीआईआर /2022/0000000006 दिनांक 07/01/2022 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित जानकारी पर विचार करेंगे:

9.6. आरपीटी के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाने वाली जानकारी सूचीबद्ध इकाई प्रस्तावित आरपीटी के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगी:

- क) प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, सामग्री शर्तें और विवरण;
- ख) संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति शामिल है;
- ग) प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (विशेष अवधि निर्दिष्ट की जाएगी);
- घ) प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य;
- ड) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है (और सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई ऐसी प्रतिशतता अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी);

च) यदि लेनदेन सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है:

- i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण;
- ii) जहां ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋण लिया जाता है, • ऋण की प्रकृति; • निधियों की लागत; और • अवधि;
- iii) लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे वे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित हैं, तो सुरक्षा की प्रकृति; और
- iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।

छ) इस बात का औचित्य कि आरपीटी सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है;

ज) मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है;

झ) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है;

झ) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

9.7. लेखापरीक्षा समिति (एक वर्ष से अधिक) या लेखापरीक्षा समिति की स्थिति की भी वार्षिक आधार पर समीक्षा करें।

9.8. आरपीटी पर विचार के लिए शेयरधारकों को दी जाने वाली सूचना किसी भी प्रस्तावित आरपीटी के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों को भेजी जाने वाली सूचना में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकताओं के अतिरिक्त, स्पष्टीकरण कथन के भाग के रूप में निम्नलिखित सूचना शामिल होगी:

क) प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा समिति को दी गई जानकारी का सारांश, जैसा कि पैरा 9.6 में निर्दिष्ट है;

ख) प्रस्तावित लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है, इसका औचित्य;

ग) जहां लेनदेन सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है, वहां पैरा 9.6 के बिंदु (एफ) के तहत निर्दिष्ट विवरण;

(निधियों के स्रोत और निधियों की लागत का खुलासा करने की आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों/एनबीएफसी

पर लागू नहीं होगी।)

घ) एक बयान कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा जिस मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो, तो उसे शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा;

ई) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है;

च) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

10. प्रकटीकरण

क) अधिनियम की धारा 188 के अनुरूप बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन से संबंधित पक्षों के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था को बोर्ड की रिपोर्ट में शेयरधारकों को संदर्भित किया जाएगा, साथ ही ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का औचित्य भी बताया जाएगा।

ख) सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण तिमाही आधार पर प्रकट किया जाएगा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाने वाली कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

ग) कंपनी अपने छमाही वित्तीय परिणामों के साथ-साथ संबंधित पार्टि लेनदेन का खुलासा वार्षिक परिणामों के लिए प्रासंगिक लेखांकन मानकों में निर्दिष्ट प्रारूप में (सेबी द्वारा अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22/11/2021 के अनुसार निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

घ) कंपनी अपनी वेबसाइट पर संबंधित पार्टि लेनदेन से निपटने की नीति का खुलासा करेगी और वार्षिक रिपोर्ट में इसके लिए एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

इ) सभी संबंधित पक्षों के नाम और संबंधों की प्रकृति और सभी संबंधित पार्टि लेनदेन का विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 24 के अनुसार वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाना चाहिए।

च) कंपनी एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता वाले किसी भी संबंधित पक्ष के साथ सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण अलग से दिया जाएगा।

11. संशोधन

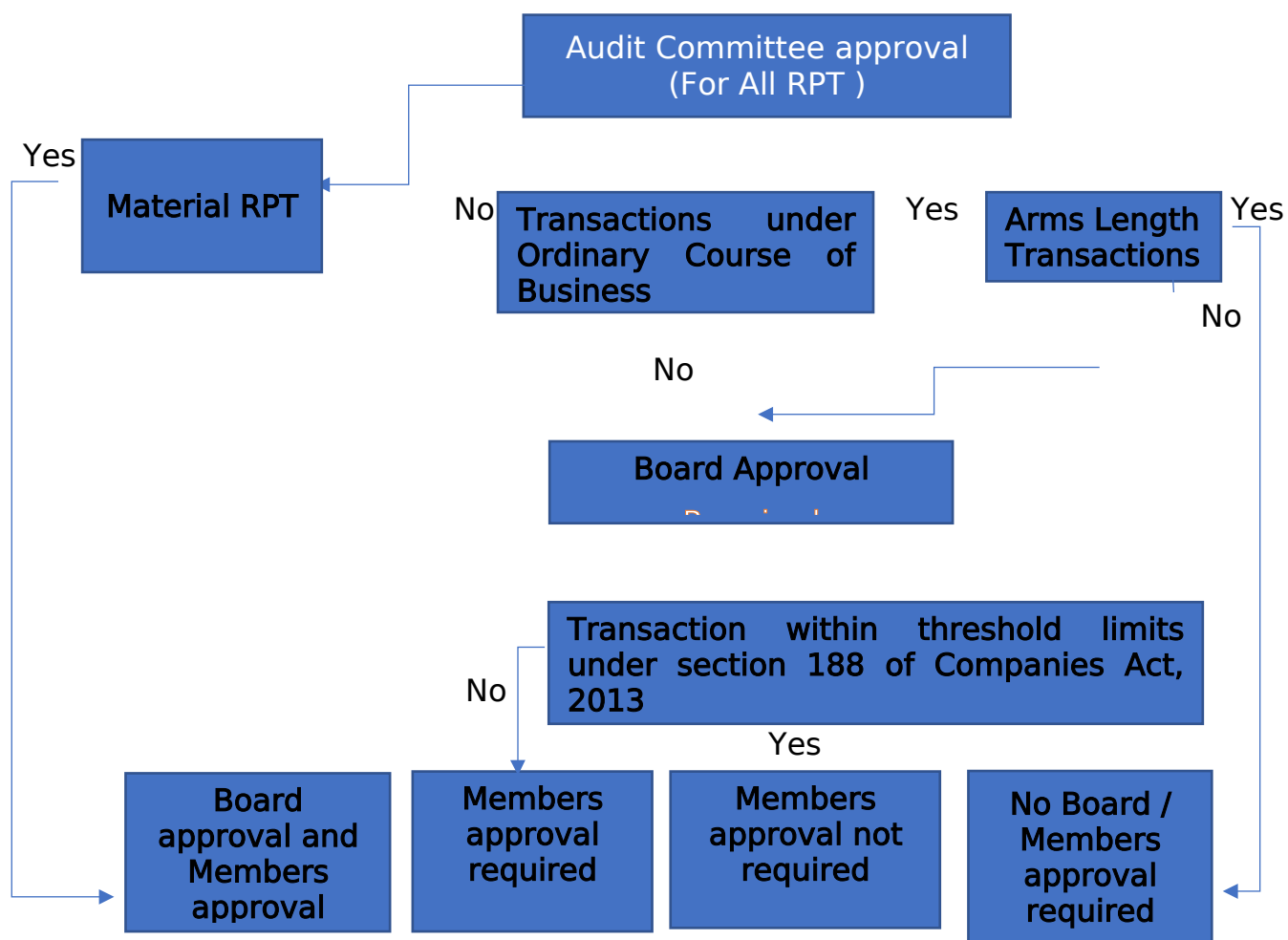
निदेशक मंडल प्रत्येक 3 वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करेगा तथा अधिनियम या किसी कानून की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर इस नीति में पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधन कर सकता है।

हालाँकि, लिस्टिंग विनियमों या किसी वैधानिक अधिनियम के अनुपालन में नीति में किसी भी संशोधन की आवश्यकता होने पर, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को ऐसे संशोधन को अनुमोदित करने का अधिकार है।

लिस्टिंग विनियमन और कंपनी अधिनियम, **2013** के अंतर्गत अनुमोदन और विचार/सिफारिश तंत्र का सारांश

उद्यम और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उद्यम और विचार/सिफारिश तंत्र का सारांश	उद्यम और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उद्यम और विचार/सिफारिश तंत्र का सारांश
सभी संबंधित पक्ष लेनदेन और उसके बाद होने वाले सभी संशोधन	लेखा परीक्षा समिति
आरपीटी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं या दोनों (सीमा से नीचे)	लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसा। बोर्ड द्वारा अनुमोदन
महत्वपूर्ण आरपीटी और आरपीटी जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं या आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं या दोनों (सीमा से ऊपर)	लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसा। बोर्ड द्वारा शेयरधारकों को अनुशंसा। शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन

Related Party Transactions (RPT) - Flow Diagram



नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ग्राह्य माना जायेगा